राजस्व वाद सं 55/2019 उनवान सांवरमल बनाम महेश आदि

07.11.2019	पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के यहां से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने पर प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। अतः पत्रावली दावा पुन दर्ज रजिस्टर हो। उभयपक्षकारान को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 06.12.2019 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	
6/12/19	पत्रावली पेश हुई। थाना अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली पत्र आदेशानुसार दिनांक 13/12/19 को पेश हो।	
13/12/19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली रिमांड होकर दर्ज रजिस्टर की गई है। जिसमें वकील प्रार्थीगण / अनावेदक महेश कुमार आदि ने एक आवेदन बाबत ड्राप किये जाने कार्यवाही पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत आवेदन अ. धारा 136 LR Act में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.01.2013 को प्रार्थी / आवेदक सांवरमल का आवेदन स्वीकार किया गया था। जिसकी अपील प्रार्थीगणों महेश आदि ने माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर के यहां करने पर उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.1.19 के द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.1.2013 को खारिज किया जाकर पुन: निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमांड किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 15.01.2019 के खिलाफ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज., अजमेर के यहां 3 अपीलें क्रमशः अपील सं. 1274/2019, 773/2019, 797/2019 प्रस्तुत हुई। जिनका निर्णय एक साथ दिनांक 03.4.19 को किया गया। जिनमें यह निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया कि "प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड खातेदार के नाम को ही विलोपित कर संशोधन करने के आदेश दिये है जबकि इस धारा के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। अधिकारों का विनिश्चय मौका रिपोर्ट से नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलो में दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत लेने आवश्यक होते है अधिकारों की घोषणा का विनिश्चय केवल मात्र दावे में ही किया जा सकता है	[signature] उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, धोद न्यायालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

धारा 136 [illegible]

[illegible] है। [illegible]

[illegible] है [illegible]

[illegible] है। [illegible] है कि [illegible] है

[illegible]

[illegible]

[illegible] धारा 136 के [illegible] जा सकता है। ऐसी

[illegible] नहीं किया [illegible] जो के भी

[illegible] किये जाते हो भी

[illegible] को [illegible] किया जा सकता है।

स्थिति में प्रकरण को [illegible] किया [illegible] द्वारा निस्तारण [illegible]

प्रकरण का [illegible] हो है एवं [illegible] पक्षकार है व सम्बन्धित

इसका [illegible] है जो [illegible] पक्षकार [illegible] आवश्यक पक्षकार बन

के समक्ष [illegible] प्रस्तुत कर [illegible] पूर्व में हुआ है

जाने में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पक्षकार का वारसी [illegible] पूर्व में हुआ है

अथवा नहीं हुआ है? विवादित आराजियात पूर्व में किसके

स्वामित्व में थी एवं कब कब दूसरे खातेदार के नाम

अंकित की गई? इन सब बिंदु का निर्धारण दावे [illegible]

किया जा सकता है। धारा 136 के [illegible] पर [illegible]

कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के

परिणामस्वरूप अपील संख्या 1274/2019 एडमिशन के [illegible]

पर ही स्वीकार कीजाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों [illegible]

निर्णय निरस्त किये जाते हैं। अपील संख्या 773/2019 [illegible]

791/2019 एडमिशन के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

अतः माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश [illegible]

03.04.2019 के परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण की [illegible]

चलने योग्य नहीं है। अतः हस्तगत पत्रावली [illegible]

अ. धा. 136 LR Act की कार्यवाही ड्रॉप की जावें।

[illegible]

उपखण्ड अधि[illegible]

[illegible] सीक[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

मुख्यालय सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत आवेदन व हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 03.04.2019 का भी अवलोकन किया गया, जो कि अंतिम निर्णय है। अतः माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज०, अजमेर के निर्णय दिनांक 03.04.2019 की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है) क्योंकि हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित अन्य वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। अतः प्रार्थीगण महेश आदि के आवेदन बाबत ड्राप किये जाने कार्यवाही को स्वीकार किया जाकर हस्तगत पत्रावली प्रार्थना पत्र क्र. धारा 136 LR Act को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है) पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.13 12:13:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: